संख्या–२५०/XXIV–नवसृजित/16–07(02)/2014

प्रेषक,

डी0 सेन्थिल पाण्डियन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित देहरादूनः दिनांक 11 अप्रैल, 2016

विषयः–प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ता के अल्पकालिक रिक्त पदों पर नितान्त अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वर्ष 2015–16 में शासनादेश संख्या–151/XXIV–नवसृजित/15–07(02)/2014 दिनांक 13.04.2015 के द्वारा सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नितान्त अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विषय के सापेक्ष निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे तथा विकासखण्ड स्तर मेरिट के आधार पर रिक्त स्थानों पर पदस्थापना की गयी थी ।

2– विगत वर्ष प्रवक्ता के 4969 रिक्त पदों के सापेक्ष 3684 तथा सहायक अध्यापक एल0टी0 के 3415 रिक्त पदों के सापेक्ष 2442 पदों पर ही अभ्यर्थी उपलब्ध हो पाये थे। इस प्रकार सहायक अध्यापक एल0टी0 में 973 तथा प्रवक्ता में 1285 स्थान रिक्त होने के कारण उक्त स्थानों पर शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ। कतिपय विकासखण्डों में विषय के सापेक्ष निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने तथा कतिपय विकासखण्डों में आरक्षण के सापेक्ष निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण 2258 पदों पर शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो पायी।

3– अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ता के अल्पकालिक रिक्त पदों पर नितान्त अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विजिटिंग शिक्षकों के तैनाती हेतु उपरोक्त शासनादेश दिनांक 13.04.2015 में निम्नवत् संशोधन किया जाता हैः–

शासनादेश के बिन्दु	प्रतिस्थापित बिन्दु
3– विकासखण्ड स्तर पर अल्पकालिक व्यवस्था हेतु विजिटिंग शिक्षकों का एक पूल बनाया जायेगा, जो रिक्ति की संख्या का दो गुना तक हो सकता है। संबंधित विकासखण्ड में निवासरत् अर्ह अभ्यर्थियों से विजिटिंग शिक्षक चयनित किये जायेंगे। रिक्तियों पर तात्कालिक व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू होगा। जनपद स्तर पर विजिटिंग शिक्षकों हेतु चिन्हित रिक्तियों के आधार पर मुख्य अधिकारी द्वारा विकासखण्डों हेतु रिक्तियां अवधारित की जायेंगी।	जनपद स्तर पर अल्पकालिक शिक्षकों की व्यवस्था हेतु एक विषयवार पूल तैयार किया जायेगा। संबंधित जनपद में निवासरत् अर्ह अभ्यर्थियों में से विजिटिंग शिक्षक चयनित किये जायेंगे जिसमें विषयवार आरक्षण का रोस्टर लागू होगा। जनपद स्तर पर विजिटिंग शिक्षक हेतु चिन्हित रिक्तियों के आधार पर पदस्थापना की जा सकेगी।
5– विजिटिंग शिक्षक हेतु आवेदन संबंधित विकासखण्ड में पंजीकृत डाक के माध्यम से किये जायेंगे। विकासखण्ड स्तर पर चयन हेतु संबंधित विकासखण्ड के उप जिला अधिकारी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा, जिसके सदस्य सचिव, खण्ड शिक्षा अधिकारी होंगे तथा जो मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदित होगा।	विजिटिंग शिक्षकों हेतु विषयवार आवेदन मुख्य शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद के कार्यालय में पंजीकृत डाक से जमा किये जा सकेंगे। अभ्यर्थियों का चयन जनपद स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा मेरिट के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों की मेरिट/प्रवीणता सूची के आधार पर विषयवार पूल तैयार किया जायेगा।

6– अनुमोदित सूची से खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को विद्यालय आंवटित करते हुये आदेश निर्गत किया जायेगा, जिसमें आरक्षण रोस्टर/प्रतिशत का पालन किया जायेगा।	विषयवार अनुमोदित सूची में से मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से विद्यालय आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(4) संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा विजिटिंग शिक्षकों के रिपोर्ट कार्ड नियमित रूप से संकलित किये जायेंगे।

शासनादेश संख्या–151/ XXIV–नवसृजित/ 15–07(02)/2014 दिनांक 13.04.2015 का प्रस्तर–3, 5 एवं 6 उक्त सीमा तक आंशिक रूप से संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

11/04/16

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव

संख्या– (1)/XXIV–नवसृजित/15–07(02)/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी द्वारा–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
7. अपर निदेशक, (माध्यमिक), गढ़वाल/कुमायूं मण्डल।
8. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, द्वारा–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, द्वारा–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
10. समस्त प्राचार्य डायट, उत्तराखण्ड, द्वारा–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, द्वारा–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

12- निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।

13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वी0एस0 पुण्डीर)
अनु सचिव